

**प्रेस नोट**  
**थाना सकरार**

**दिनांक 15.09.2023**

**दहेज हत्या से संबंधित 03 आरोपियों को थाना सकरार पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर  
न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।**

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध की जा रही प्रभावी कार्यवाही के क्रम में थाना सकरार पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पंजीकृत अभियोग मु0अ0सं0-70/22 धारा 498ए, 323,504,506,120,201,118,304बी भादवि व ¾ डीपी एक्ट में वांछित अभियुक्तगण को गिरफ्तार व मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

**संक्षिप्त विवरण-**

आज दिनांक 15-9-2023 को थानाध्यक्ष श्री प्रदीप कुमार मय हमराह का0 1852 रवि कुमार व म0का0 1311 संजना कुमारी मय सरकारी वाहन नं0 यू0पी0 32 बी0जी0 7494 मय चालक के देखभाल क्षेत्र,रोकथाम जुर्म जरायम में जी0आई0सी0 स्कूल के पास मौजूद था मुखबिर खास की सूचना पर जी0आई0सी0 स्कूल से प्रस्थान कर मगरपुर तिराहे से अभियुक्त गण

- 1- जयहिन्द पुत्र रामपाल उम्र करीब 27 वर्ष निवासी ग्राम कनौरा थाना सकरार जनपद झाँसी तथा
- 2- रामपाल पुत्र हल्काई उम्र करीब 48 वर्ष निवासी ग्राम कनौरा थाना सकरार जनपद झाँसी
- 3- श्रीमती गुड्डी पाल उर्फ मुन्नी पाल पत्नी रामपाल उम्र करीब 46 वर्ष निवासिनी ग्राम कनौरा थाना सकरार जनपद झाँसी को कारण गिरफ्तारी जुर्म धारा 498ए, 323,504,506,120,201,118,304बी भादवि व ¾ डीपी एक्ट से अवगत कराकर समय करीब 11.45 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया ।

**अभियुक्तागण का नाम व पता**

- 1- जयहिन्द पुत्र रामपाल उम्र करीब 27 वर्ष।
- 2- रामपाल पुत्र हल्काई उम्र करीब 48 वर्ष।
- 3- श्रीमती गुड्डी पाल उर्फ मुन्नी पाल पत्नी रामपाल उम्र करीब 46 वर्ष निवासी गण ग्राम कनौरा थाना सकरार जनपद झाँसी।

**अभियुक्तगण की गिरफ्तारी का स्थान व समय-**

जी0आई0सी0 स्कूल से मगरपुर तिराहे समय करीब 11.45 बजे

**गिरफ्तारी करने वाली टीम के अधि0/कर्म गण का नाम-**

- 1- थानाध्यक्ष सकरार श्री प्रदीप कुमार जनपद झाँसी
- 2- का0 1852 रवि कुमार थाना सकरार जनपद झाँसी
- 3- म0का0 1311 संजना कुमारी थाना सकरार जनपद झाँसी